

कार्यालय प्रधानाचार्य: राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ उ०प्र०-243601

पत्र सं० 2031 / रा०मे०का०ब० / 2022

दिनांक:- 01/2/22

राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ उ०प्र० में संविदा के आधार पर आचार्य, सह-आचार्य, सहा० आचार्य के पदों पर सेवायोजन हेतु पुनर्विज्ञप्ति:-

इस कार्यालय के पत्र संख्या-171/रा०मे०का०ब०/2021 दिनांक-27.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुये पुनः विज्ञापित के माध्यम से शासनादेश संख्या-5026/(1)/71-1-2020-जी-36/2015 दिनांक-15 जनवरी, 2020 एवं शासनादेश 4661/71-1-08-जी-63/2008 दिनांक 15 दिसम्बर 2008 एवं उक्त शासनादेश के कम में समय-समय पर निर्गत अन्य संविदा शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या -1079(अ)/71-1-2017-जी-70/2017 दिनांकित -24/05/2017 के अनुपालन में राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ में रिक्त आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर आवेदन पत्र एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। इन पदों पर वाक-इन-इन्टरव्यू (Walk-in-Interview)के माध्यम से कालेज स्तर से संस्तुति के आधार पर अन्तिम चयन शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के स्तर से किया जाना है। चयन की प्रक्रिया जनवरी-फरवरी माह 2021, मई-जून, 2021, जुलाई-अक्टूबर 2021 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या-1541/रा०मे०का०ब०/2021 दिनांक-17.11.2021 के माध्यम से फरवरी, माह के प्रत्येक मंगलवार को की गयी थी परन्तु निम्नलिखित तालिकानुसार इन विषयों में उस वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए एवं अन्य विषयों में भी पद रिक्त होने के कारण उक्त विज्ञप्ति में संशोधन कर अग्रनित करते हुए चयन की कार्यवाही मार्च 2022 तक प्रत्येक मंगलवार को कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ में सम्पन्न की जायेगी यदि तालिकानुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन पदों पर एन०एम०सी०/एम०सी०आई० की अद्यतन संस्तुति के अनुसार अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पात्र होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों, उनकी सत्यापित छायाप्रतियों की 02 सेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं 02 फोटो सहित उपस्थित हों। शासन के नवीनतम शासनादेश के अनुसार आरक्षण लागू होगा। पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है या रिक्त होने पर नये पद भी सम्मिलित हो सकते हैं। पदों की अद्यतन स्थिति एवं समस्त विवरण www.updgme.in एवं www.gmcbudounup.com पर उपलब्ध हैं।

राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ में संविदा पर चयन हेतु चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति				
क्र० सं०	विशिष्टता का नाम	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ		
		आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य
1	अस्थि रोग विभाग	01-अनुसूचित जाति	01-अनुसूचित जाति	01-अनुसूचित जाति
2	नेत्र रोग विभाग	01-अनारक्षित	01-अनुसूचित जाति	01-अन्य पिछड़ा वर्ग
3	स्त्री एवं प्रसूति रोग	01- अनारक्षित	00	00
4	इम्यूनो हिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड- ट्रान्सफ्यूजन	01-अन्य पिछड़ा वर्ग	00	01-अनारक्षित
5	एनॉटमी विभाग	01-अनारक्षित	00	00
6	एनेस्थेसिया	01-अनुसूचित जाति	01-अनारक्षित	01-अनुसूचित जाति
7	कम्यूनिटी मेडिसिन	00	01-अनारक्षित	01-अनारक्षित
8	सामान्य मेडिसिन	01-अनारक्षित	01-अन्य पिछड़ा वर्ग	01-अन्य पिछड़ा वर्ग
9	सामान्य सर्जरी	00	01-अनारक्षित	01- आर्थिक रूप से कमजोर
10	दन्तरोग	01-अन्य पिछड़ा वर्ग	01-अनुसूचित जाति	01-अनुसूचित जाति
11	टी०बी० चेस्ट	01-अनारक्षित	00	01 अनारक्षित
12	बाल रोग विभाग	01-अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00
13	चर्म रोग विभाग	01-अन्य पिछड़ा वर्ग	01-अन्य पिछड़ा वर्ग	00
14	पैथोलॉजी विभाग	00	01 अन्य पिछड़ा वर्ग	00
15	फार्माकोलॉजी विभाग	01-अनारक्षित	01-अनारक्षित	01-अनारक्षित
16	फार्माकोलॉजी विभाग	00	01-अनुसूचित जाति	01-अनुसूचित जाति
17	फिजियोलॉजी	00	00	01-अन्य पिछड़ा वर्ग
18	फोरेन्सिक मेडिसिन	01-आर्थिक रूप से कमजोर	01-अन्य पिछड़ा वर्ग	01-अन्य पिछड़ा वर्ग
19	माइक्रोबायोलॉजी	01-अनुसूचित जाति	00	00
20	रेडियोलॉजी	00	01-अन्य पिछड़ा वर्ग	00
21	रैडियोलॉजी	01-अनारक्षित	01-आर्थिक रूप से कमजोर	00
22	मानसिक रोग	00	01-अनारक्षित	01-अनारक्षित
	योग-	14	17	00
				14

Principal / Dean
Govt. Medical College
Badaun

संविदा की शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों, सह-आचार्यों एवं सहायक आचार्यों, का वेतन नवीनतम शासनादेश के अनुसार देय होगा। इस हेतु आवेदक को National Medical Commission, Minimum Qualification for teachers in Medical Institutions Regulations, 2021 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सहायक-आचार्य-60 वर्ष, सह-आचार्य-64 वर्ष, आचार्य-68 वर्ष आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
3. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियामावली, 2005 में निहित के अनुसार होगी।
4. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
5. प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
6. कोई भी चिकित्सा शिक्षकों को प्राइवेट में देखने के लिये वाध्य नहीं करेगा।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
8. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन /भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।
9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी /नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए आवश्यक होगा कि वह करार के 15 दिन के भीतर संबन्धित मेडिकल कालेज, में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए बोनस देय नहीं होगा।
13. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
14. संविधा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियम नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमान्य होगी।
16. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं हैं और यदि उनके विरुद्ध प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
17. उक्त संविदा पदों की चयन प्रक्रिया प्रधानाचार्य की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से की जानी है। अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशालय में ही निहित होगी।
18. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
19. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

नोट-साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
बदायूँ।

पत्रांक सं०-2031 / रा०मे०का०ब० / 2022

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तददिनांक:- 01/2/22

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने की कृपा करें।
3. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
4. उप-प्रधानाचार्य/प्रमुख अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बदायूँ।
6. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज कानपुर / मेरठ / आगरा / झांसी / गोरखपुर / इलाहाबाद / अम्बेडकर नगर / कन्नौज / जालौन / आजमगढ़ / सहारनपुर / बांदा।
7. रजिस्ट्रार, के०जी०एम०यू०, लखनऊ एवं यू०पी० इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सैफई इटावा उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कालेज, के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने की कृपा करें।
8. प्रधानाचार्य, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कालेज, के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने की कृपा करें।
9. निदेशक, इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, बी०एच०यू०, वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कालेज, के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने की कृपा करें।
10. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
11. राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ के नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट हेतु।
12. निदेशक, सूचना एवं प्रसार, सूचना भवन, पार्क रोड उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना शीघ्रताशीघ्र न्यूनतम तीन समाचार पत्रों (दो हिन्दी व एक अंग्रेजी) लखनऊ, कानपुर, बरेली, अलीगढ़, आगरा के संस्करणों में प्रकाशित करने का कष्ट करें। (सी०डी० संलग्न)


प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
बदायूँ।